न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर
सीमलवाडा जिला डुंगरपूर राजस्थान

पीठासीन अधिकारीः— सोनू कुमार गुर्जर, आर.ए.एस.

प्रकरण सख्याः—02/25 रेवेन्यु दायर दिनांकः—16.01.2025

श्रीमति पूंजी पत्नी भीखा यादव जाति चमार विवाह पूर्व निवासी बांसीया त. सीमलवाडा जिला डूंगरपुर विवाह पश्चात् निवासी सेमलिया त. गलियाकोट जिला डूंगरपुर व जिला डूंगरपुर (आधार कार्ड 5545 8526 6437)।

—प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत 136 भू—राजस्व अधिनियम
सपठित धारा 209 रा. का. अधिनियम

उपस्थितः—
अधिवक्ता प्रार्थीया श्री श्रवण रावल।
पेरोकार सरकार, तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक : 23.06.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया का जन्म गाँव बांसीया में हुआ होकर प्रार्थीया के पिता का नाम मोगजी यादव पिता अमरा यादच निवासी बांसिया त. सीमलवाडा जिला डूंगरपुर होकर तथा माता का नाम श्रीमति कडूवी होकर प्रार्थीया अपने मातापिता की एक मात्र संतान होकर वारिस है। प्रार्थीया के माता पिता का देहान्त हो चुका है। प्रार्थीया को विवाह से पूर्व शांति नाम से जाना जाता रहा है तथा विवाह के पश्चात् प्रार्थीया के समाज में प्रचलित रिति रिवाज और परम्पराओं अनुसार नाम परिवर्तन किए जाते है जिसके अनुसार प्रार्थीया का विवाह गाँव सेमलिया मे श्री भीखा यादव से होने के बाद प्रार्थीया का नाम शांति से परिवर्तित होकर पुंजी रखा गया तथा प्रार्थीया के माता पिता की मृत्यु से पुर्व प्रार्थीया का विवाह हो जाने से प्रार्थीया को पुंजी नाम से ही जाना जाता रहा है और वर्तमान में भी इसी नाम से जाना जा रहा है। प्रार्थीया के आधार कार्ड एवम् जनाधार कार्ड, चुनाव कार्ड आदि समस्त राजकीय रेकार्ड मे प्रार्थीया का नाम पुंजी ही अंकित है। प्रार्थीया के पिता के कब्जे काश्त की भुमि ग्राम बांसीया में स्थित होकर उसके खसरा नम्बर 1111, 1112, 1165, 1239, 1534, 1817, 1818, 1823 कुल 8 खसरे होकर रकबा 0.9064 है तथा प्रार्थी के पिता का देहान्त हो जाने से तथा प्रार्थीया एक मात्र अपने पिता की वारिस होने से उपरोक्त भुमि प्रार्थीया के नाम पर दर्ज की गई लेकिन वक्त अंकन प्रार्थीया का नाम शांति दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थीया के समस्त रेकार्ड और राजकीय दस्तावेज में प्रार्थीया का नाम पुंजी ही चल रहा है। उपरोक्त खाते के राजस्व रेकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

अंकित शांति को हटाया जाकर पुंजी दर्ज किया जाना आवश्यक है, क्योंकि उपरोक्त गलत नाम दर्ज रेकार्ड रहने से प्रार्थीया का काफी परेशानियों का सामना करना पडेगा। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र मे अंकित भुमि की खातेदार काश्तकार है तथा अन्य किसी का भी इस भुमि पर कब्जा काश्त नहीं है तथा अन्य कोई वारिस नही है। प्रार्थीया को उपरोक्त जानकारी राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त होने पर हुई जिस पर नाम का शुद्धिकरण हेतु विधिक रूप से प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय को प्रस्तुत किया जा रहा है। उपरोक्त भुमि मे प्रार्थीया के पति का नाम भीखा जाति चमार और विवाह निवास का पता सेमलिया तो सही अंकित है लेकिन प्रार्थीया का नाम शांति गलत दर्ज चल रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे अपने स्वयं का विस्तृत शपथ पत्र व अपने परिजनों का भी शपथपत्र आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। और ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र भी पेश है। भु अभिलेख रेकार्ड ग्राम बांसीया मे स्थित होकर उसके खसरा नम्बर 1111, 1112, 1165, 1239, 1534, 1817, 1818, 1823 कुल 8 खसरे होकर रकबा 0.9064 है में अंकित शांति के नाम का शुद्धिकरण किया जाकर शांति नाम को हटाया जाकर उसकी जगह पुंजी किए जाने आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक है। जरीये इन्द्राज दुरूस्ति राजस्व रिकॉर्ड आराजी नम्बर ग्राम बांसीया में स्थित होकर उसके खसरा नम्बर 1111, 1112, 1165, 1239, 1534, 1817, 1818, 1823 कुल 8 खसरे होकर रकबा 0.9064 है जिसमें दर्ज नाम शांति को हटाया जाकर उसकी जगह वास्तविक नाम पुंजी दर्ज किया जाने आदेश प्रदान करें।

प्रार्थीया द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरीए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार को नोटिस बाद तामिल रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्यायालय में तहसीलदार रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। तहसीलदार सीमलवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रार्थीया को विवाह से पूर्व शांति नाम से जाना जाता रहा है तथा विवाह के पश्चात् प्रार्थीया के समाज में प्रचलित रीति रिवाजों और परम्पराओं अनुसार नाम परिवर्तित किये जाते है, जिसके अनुसार प्रार्थीया का विवाह गांव सेमलिया में श्री भीखा यादव से होने के बाद प्रार्थीया का नाम शांति से परिवर्तित होकर पूंजा रखा गया। प्रार्थीया के पैतृक गांव की ग्राम पंचायत द्वारा भी यह प्रमाणित किया गया है कि श्रीमती पूंजी पत्नी भीखा यादव विवाह पूर्व निवासी बांसिया तहसील सीमलवाड़ा जिला–डूंगरपुर विवाह पश्चात् निवासी सेमलिया तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर व जिला डूंगरपुर की अनुसूचित जाति की महिला होकर विवाह पूर्व श्रीमती पूंजी को शांति नाम से जाना जाता था।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया प्रार्थिया का वास्तविक नाम पूंजी पत्नि भीखा है। प्रार्थिया के राजकीय दस्तावेजों में भी प्रार्थिया का नाम पूंजी पत्नि भीखा नाम दर्ज अंकित है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है। ऐसे में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, हाल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, अन्य दस्तावेजों, साक्ष्य, ग्राम पंचायत बांसिया के प्रमाण पत्र एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिससे साबित होता है कि प्रार्थीया का नाम पूंजी पत्नि भीखा चमार होना पाया गया है। उस अनुसार प्रार्थिया के कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी ग्राम बांसीया में स्थित होकर उसके खसरा नम्बर 1111, 1112, 1165, 1239, 1534, 1817, 1818, 1823 कुल 8 खसरे होकर रकबा 0.9064 हैक्ट. में प्रार्थिया का नाम शांति के बजाय पूंजी रिकॉर्ड में दर्ज कर शुद्ध किया जाना उचित है।

::आदेश::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की आराजी ग्राम बांसिया तहसील सीमलवाड़ा में स्थित होकर खसरा नम्बर 1111, 1112, 1165, 1239, 1534, 1817, 1818, 1823 कुल 8 खसरे होकर रकबा 0.9064 हैक्ट., में प्रार्थीया का नाम शांति के बजाय पूंजी दर्ज कर रिकॉर्ड शुद्ध किया जाने आदेश किया जाता है। तहसीलदार सीमलवाड़ा आदेश की पालना कर रिपोर्ट अविलम्ब पेश करें।

(सोनू कुमार गुर्जर)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 23.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner